IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

''महिला सशक्तिकरण से ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन''

डॉ. रचना श्रीवास्तव
प्राध्यापक समजाशास्त्र शास. कन्या महाविद्यालय, रीवा

दृष्टि सिंह परिहार
शोधार्थी समाजशास्त्र, शास. टी. आर. एस. महाविद्यालय, रीवा

शोध सारांश

प्राचीन काल में माना गया कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' इस दृष्टि से प्राचीन भारत में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था परन्तु बाद में चलकर उनकी स्थिति में गिरावट आयी। अनेक प्रकार के विधि निषेधों से उन्हें बांधा गया और उनकी मानवीय गरिमा का क्षरण हुआ, सामान्य मानवीय अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। उन्हें पराधीनता में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ा। मनुस्मृति में कहा गया है कि–स्त्री बचपन में पिता, युवावस्था पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती है। 'न स्त्री स्वतंतम् अर्हति' अर्थात् स्त्री को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। मध्य युग में तो स्त्रियों की स्थिति और भी निम्न हो गयी। उन्हें पैर की जूती और दासी समझा जाने लगा। परदा प्रथा, बालविवाह, विधवा विवाह निषेध तथा सतीप्रथा जैसी प्रथाएँ पैदा हुई जिससे स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक एवं दयनीय हो गई। विसंगतितो यहाँ तक दिखी कि महिलाएँ भी वर्णों में विभाजित हो गईं। कोई उच्चकुल की तो कोई निम्नकुल की, कोई अगड़े समाज की तो कोई पिछड़े समाज की यही वह दौर है जब जनजातीय वनवासी दर्जे में महिलाओं को चिंहित और विभाजित किया गया है। इस प्रकार भारतीय महिलाओं सशक्तीकरण के लिए सामाजिक, आर्थिक प्रस्थिति में प्राचीनकाल से आजतक अनेक प्रकार के उतार–चढ़ाव आये हैं। इन्हीं बिन्दुओं को इस शोध पत्र में उल्लेख करने का प्रयास किया गया है।

परिचय :

गतिशील विकास के लिए आवश्यक है किविकास के दोनों पहलू समऐक्य हों यह तभी संभव है जब समाज एवं परिवार की धरातलीय संरचना के दोनों प्रमुख मानक समान रूप से क्रियाशील हों। यह क्रियाशीलता तभी संभव है, जब दोनों मानक एक–दूसरे की भावनाओं एवं विचारों से तादाम्य बनाने की आकांक्षा स्वाभाविक रूप से रखते हों। समय का पुरातन चक्र ऐसा रहा जब परिवार एवं समाज की मानक इकाई पुरुष एवं महिला के बीच एक विचित्र दूरी बनी रही। कहने के लिए तो दोनों साथ–साथ रहें साहचर्य दिखता रहा पर महिलाएँ समय के साथ पुरुषों द्वारा निर्देशित होतीर हीं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अधिकार बोध, अनुभव और सार्वजनिक जीवन में कार्यकरने के आयाम को धीरे–धीरे घटते गये और महिलाएँ सामांगीं होकर के द्वोयम दर्जे की नागरिक बन गई। मध्यकाल के दौर में यह देखा गया है कि महिलाओं की स्थिति घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गई। उनके मानवीय अधिकार संकुचित होते गए। उनका प्रकृति ज्ञान सामाजिक चिंतन धीरे–धीरे तिरोहित होने लगा जबकि वैदिक युग में उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएँ और अधिकार प्राप्त थे। गार्गी, मैत्रयी, वाचसनवी, उमाहेमवती जैसी अनेक विदुषी महिलाएँ हुई। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और पुरुषों के साथ कन्धें से कन्धा मिलाकर चलने का अवसर प्राप्त था।

आधुनिक युग में महिला आन्दोलनों, शिक्षा के विकास, आधुनिक जीवन मूल्यों के प्रसार के कारण स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के अनेक प्रयत्न हुए। जिनमें राजाराम मोहनराय द्वारा ब्रह्मसमाज, स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा आर्यसमाज और

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

महात्मा गाँधी द्वारा स्वाधीनता आन्दोलन के दौर में महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार के लिए गम्भीर प्रयत्न किये गये। आधुनिक युग में अनेक भारतीय नारियों लक्ष्मीबाई, श्रीमती इन्दिरा गाँधी, सरोजनी नायडू, फातिमा बीबी, राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पण्डित, किरण वेदी, अरुणा आसफ अली, ऐनीबेसेन्ट, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज आदि ने सामाजिक राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और इतिहास में अपना स्थान बनाया। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्रियों से सम्बन्धित कुछ सामाजिक विधान भी पारित हुए। इन विधानों में 1. विवाह, 2. सम्पत्ति तथा रोजगार से सम्बन्धित आयाम सम्मिलित हैं।

विवाह सम्बन्धी अधिनियम मुख्यतः पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद तथा जीवनसाथी के चुनाव की स्वतंत्रता तथा विवाह की आयु से सम्बन्धित है। विवाह से सम्बन्धित प्रमुख सामाजिक विधान– 1929 का बालविवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1955 का हिन्दू विवाह अधिनियम तथा 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रमुख सामाजिक विधान अग्रलिखित हैं– 1929 का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1939 का हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति अधिकार अधिनियम तथा, 1956 का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम। इसी प्रकार रोजगार विषय का सामाजिक विधान निम्नलिखित हैं– 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, 1948 का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा प्रसूति लाभ अधिनियम।

वस्तुतः इन अधिनियमों के कारण स्त्रियों को अनेक अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं और उनकी स्थिति में सुधार की दिशा में कदम बढे हैं तथापि वे आज भी निम्नतर एवं दयनीय होती जा रही हैं। सामाजिक विधानों के आधार पर सैद्धांतिक रूप से स्त्रियों को अपेक्षित स्वतंत्रता प्राप्त हुई हैं, परन्तु व्यावहायिक सत्य यह है कि वे अभी भी अमानवीय एवं दयनीय स्थिति भोग रही हैं।

पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की स्थिति में संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार के सुधार हुए हैं। तथापि भारतीय महिलायें आज भी आर्थिक रूप से पुरुष के प्रभुत्व से मुक्त नहीं है। उनकी सामाजिक नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं है। भारतीय ग्रामीण पिछड़ी महिलाएं परम्पराओं के बोझतले जीवन व्यतीत करती है। वे सामाजिक मान्यताओं, रूढ़ियों और प्रथाओं से जकड़ी होती हैं, उनमें धर्म की भावना प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। यहाँ तक कि वे व्यावहारिक एवं तार्किक विचारों एवं व्यवहारों की अवहेलना करती हैं। सड़ी–गली अप्रासंगिक प्रथाओं एवं मान्यताओं को धर्म मानकर दृढ़तापूर्वक पालन करती हैं। आधुनिक युग में नये विचारों के प्रसार, शिक्षा तथा विज्ञान के विकास का प्रभाव ग्रामीण समाज पर भी पड़ रहाहै। जिससे ग्रामीण स्त्रियों में जड़–मृत एवं अप्रासंगिक परम्पराओं तथा रूढ़ियों के परित्याग की भावना बढ़ रही है। वर्तमान काल में ग्रामीण महिलाओं में भी आधुनिक जीवन मूल्यों एवं जीवन शैली के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उनमें नये विचारों एवं व्यवहारों के नये तौर तरीकों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ती दिख रही है। आज ग्रामीण महिलाएं भी महिलाओं की स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता की समर्थक बन रही है। वे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने और व्यावहारिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण को अपनाने की ओर अग्रसर हो रही है। ग्रामीण महिलाएं नगरीकरण एवं पाश्चात्य सभ्यता से भी प्रभावित है। वे नये फैशन पारम्परिक लोकगीतों एवं नृत्यों के स्थान सिनेमायी गीतों एवं नृत्यों को अधिक पसन्द करने लगी है। आज ग्रामीण महिलाएं घर से बाहर निकलकर कार्य करने, यहॉ तक की राजनीति में भी भाग लेने की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है।

समाजशास्त्रीय अध्ययन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता अध्ययन से संबंधित उत्तरदाताओं के सामाजिक, आर्थिक स्थिति से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान है व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उसके दृष्टिकोणों और मनोभावों पर प्रभाव पड़ता है। अतः सामाजिक आर्थिक स्थिति के अध्ययन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाता की आयु, जाति, लिंग, धर्म, शैक्षिक, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति आदि प्रेरक कारकों के प्रभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

परिवार समाज की प्राथमिक पाठशाला है, व्यक्ति के आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ उसके समाजीकरण व व्यक्तित्व के विकास में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में परिवार का सदस्य रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उसे अपने जन्म, पालन–पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के साथ–साथ अन्य जीवन उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है। परिवार में ही बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे बालक समाज में रहने योग्य बनता है। परिवार के साथ बालक जैसा सीखता है, उसी प्रकार समाज में वह व्यवहार भी करता है। परिवार में ही वह अपनी संस्कृति, सम्बन्धों व भावनाओं को सुरक्षित रख पाता है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यह देशकाल और परिस्थिति के अनुसार कई स्वरूपों में देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार आदि अनेक प्रकार के परिवारों का अस्तित्व है। इरावती कर्वे के अनुसार ''एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो सम्पत्ति के स्वामी होते हैं और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा जो सामान्यतः एक भवन में रहते हैं, जो एक रसोई में भोजन करते हैं, जो सामान्यतः किसी प्रकार एक–दूसरे से सम्बन्धित हैं।''

व्यक्ति के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था 'परिवार' है। जन्म से लेकर मृत्यु–पर्यन्त प्रत्येक व्यक्ति पारिवारिक जीवन के विविध आयामों से बंधा रहता है। मानवसमाज के ऐतिहासिक विकास क्रम में पारिवारिक सम्बन्धों का गहन संवेगात्मक अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को हुआ है। दार्शनिकों और सामाजिक सम्बन्धों के प्रबुद्ध विश्लेषणों ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि समाज एक–दूसरे से जुड़े परिवारों का प्रकार्यात्मक समुच्चय है। इतिहास विदों और मानव–शस्त्रियों ने समाज की विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए उसके पारिवारिक सम्बन्धों की रूपरेखा का विवरण दिया है। विभिन्न संस्कृतियों की धार्मिक एवं सामाजिक गाथाओं में परिवार की भूमिका और महत्व पर बल दिया गया है। विभिन्न अध्ययनों के अन्तर्गत परिवार को एक संस्था के रूप में विश्लेषित किया जाता है। यह एक आर्थिक इकाई भी है, जिसमें परम्परागत मूल्यों के कारण पुरुषों की सत्ता प्रधान होती है।

परिवार किसी भी समाज में एक विशिष्ट स्थान है। परिवार के बिना समाज की कल्पना सर्वथा असम्भव है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परिवार सामाजिक संरचना की एक प्राथमिक इकाई है। जीवन के आरम्भ से लेकर अन्त तक व्यक्ति परिवार का अभिन्न अंग बना रहता है। व्यक्ति में सामाजिक चेतना, सामाजिक संचार, सामाजिक सम्पर्क, सामाजिक अन्तःक्रियाएँ सभी का मध्यम एवं वाहन परिवार ही है। मानव जीवन के प्रारम्भ से परिवार सांस्कृतिक विकास के सभी स्तरों पर पाया जाता है। परिवार के बिना समाज की निरन्तरता सम्भव नहीं है।

मानवीय सम्बन्धों को प्रगट करने वाले प्रत्येक पक्ष के मूल्यांकन हेतु पारिवारिक सम्बन्धों का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है वस्तुतः पारिवारिक जीवन वृहद सामाजिक व्यवस्था में समायोजित अन्तर्क्रिया के लिये व्यक्तिको योग्य बनाता है। सामाजिक ढॉचे का आधार पारिवारिक इकाई में ही निहित है। चीनी दार्शनिक कन्फयूसियश के विचार में प्रसन्नता और सम्पन्नता तभी सम्भव है जब प्रत्येक व्यक्ति एक–दूसरे के साथ परिवार के सदस्य की भांति ही व्यवहार करे। कोई भी समाज तबतक जीवित नहीं रह सकता जबतक कि उसमें वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की क्रियायें, बच्चों, बूढ़ों, बीमार लोगों, गर्भ धारण करने वाली महिलाओं का संरक्षण और विधि से अनुरूपण आदि आवश्यकता यें पूरी हों। यदि लोगों को इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित किया जाय, तभी समाज की निरन्तरता बनी रह सकती है। यह अभिप्रेरणा परिवार द्वारा ही सृजित की जा सकती है। वर्गीय व्यवस्था भी परिवार ही आधारित होती है। वस्तुतः बच्चा परिवार में ही न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपितु सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समानीकृत होता है।

ई0 डब्ल्यू0 बर्गेस एवं लाक के अनुसार ''परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के सम्बन्धों से संगठित तथा जो एक छोटी गृहस्थी का निर्माण व देख–रेख करते हैं और पति–पत्नी, माता–पिता, लड़के–लड़की, भाई–बहन के रूप में अन्तःक्रिया करते हैं।'' कूले के अनुसार ''परिवार एक प्राथमिक समूह है और इस प्राथमिक समूह में ही

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

बच्चों के सामाजिक जीवन व आदर्शों का निर्माण होता है। अतः सामाजिक तथा वैयक्तिक दृष्टिकोण से परिवार समाज की एक मौलिक आधारभूत इकाई है।

अध्ययन क्षेत्र :–

रीवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा ज़िले में स्थित एक नगर है। यह ज़िले का मुख्यालय भी है और राज्य की राजधानी, भोपाल, से 420 किलोमीटर (260 मील) पूर्वोत्तर में और जबलपुर से 230 किलोमीटर (140 मील) उत्तर में स्थित है। इस से दक्षिण में कैमूर पर्वतमाला है और इस क्षेत्र मेंविन्ध्याचल की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार दादर खुर्द का स्थान ग्रामकोड 465508 है। दादर खुर्द भारत के मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सिरमौर तहसील के अन्तर्गत ग्राम है। जिला मुख्यालाय से 13 किमी. की दूरी पर स्थित है। ग्राम की कुल आबादी 462 है, जिसमें पुरुष की आबादी 255 जबकि महिलाओं की आबादी 207 है। साक्षरता 65.15 प्रतिशत है।

शोध प्रविधि :–

इस शोध पत्र में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सम्बन्ध में दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है जिसमें 50 ग्राम–दादर खुर्द की महिलाओं एवं ग्रामवासियों को उत्तरदाता के रूप में चुना गया है और उनका विश्लेषण कर ग्राम में होने वाली महिलाओं जागरूकता एवं सशक्तीकरण की गतिविधियों को अवगत कराने का प्रयास किया गया है।

शोध समीक्षा :–

डॉ0 मजूमदार के अनुसार ''परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में रहते हैं तथा रक्त सम्बन्धी हैं और स्थान, स्वार्थ तथा पारस्परिक कर्त्तव्य बोध के आधार पर समान होने की भावना रखते हैं।'' कपाड़िया के अनुसार ''यह समाज की निरन्तरता को बनाये रखने और सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण का प्रमुख साधन है।'' मैकाइवर और पेज ''परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन सम्बन्धों पर आधारित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि सन्तान के जन्म और पालन–पोषण की व्यवस्था करता है।'' सिंह ''आदर्शात्मक तथा भावात्मक सम्बन्धों को स्थायित्व प्रदान करने के साथ–साथ यह विभिन्न नातेदारों के प्रति सामाजिक पारिवारिक दायित्वों का बोध कराता है।'' जी.के. भटनागर ''परिवार उन सदस्यों का समूह है जो रक्त अथवा विवाह द्वारा एक दूसरे के सम्बन्धित होते है।'' आई.पी. देसाई ''परिवार को समझने के लिए उसके आकार को जानना ही काफी नहीं, अपितु सदस्यों में अन्तःक्रियाओं के प्रतिमान को भी समझना आवश्यकता है।'' मुखर्जी एवं सिंह ''परिवार के अन्तर्गत उन सभी सदस्यों को रखा जा सकता है जो एक सर्वनिष्ठ मुखिया पर आश्रित होते है, भले ही वे उसके साथ रहते हों अथवा नहीं।''

व्याख्या :–

समाज की प्रमुख इकाईयों में 'परिवार' के प्रति लोगों के बदलते हुए दृष्टिकोण और परम्परागत पारिवारिक सत्ता मे विश्वास के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण अध्ययन किये गये हैं। समाज की निरन्तरता को बनाये रखने वाली यह इकाई अपने परम्परागत संरचना स्वरूप और प्रकार्यात्मक संदर्भों में कई परिवर्तनों से संयुक्त हो चुकी है। औद्योगिक समाज की बदलती हुई आर्थिक संरचना ने इसे अत्यधिक प्रभावित किया है। व्यक्ति का आर्थिक जीवन उसकी पारिवारिक संरचना और समायोजित परिवार की आधारशिला है। यह आम धारणा है कि परिवार में जो कार्यरत महिलाएँ हैं उनको आधुनिक कहॉ जाता है और आधुनिकता का विश्लेषण निन्दात्मक तथा उपहासात्मक अर्थो में युक्त होता रहा है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

उपर्युक्त संदर्भ में पारिवारिक आर्थिक स्थिति के विवेचन हेतु परिवार का स्वरूप, परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार का मुखिया, परम्परागत व्यवसाय, परिवार के सदस्यों द्वारा धनोपार्जन, मासिक आय, खेती योग्य भूमि, पति का शैक्षिक स्तर, पति का व्यवसाय, बच्चों की संख्या, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का दायित्व, आवास का स्वामित्व, मकान में बिजली एवं नल की सुविधा, आवास का स्वरूप, अमोद–प्रमोद की सुविधाएँ, पति से निर्वाह, विवाह के समय आयु, विवाह से संतुष्टि, पति व घर के सदस्यों द्वारा घरेलू कार्यो में मदद, परिवार में उनका महत्व, परिवार नियोजन के प्रति दृष्टिकोण आदि के सम्बन्ध में संकलित तथ्यों के प्रस्तुत किया गया है।

सभी समाजों में परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई के रूप में है। पारिवार सामाजिक जीवन का प्रथम सोपान है। परिवार के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। भारतीय ग्रामीण समाज में मुख्यतः परिवार का संयुक्त रूप ही देखने को मिलता है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण आदि के कारण इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। मगर परिवर्तन के फलस्वरूप भी संयुक्त परिवार का भविष्य अन्धकारमय नहीं है। संयुक्त परिवार में लोगों की आस्था आज भी बनी हुई है। परम्परागत रूप से परिवार के दो प्रकारों, संयुक्त तथा एकाकी परिवारों में विभक्त किया जा सकता है। संयुक्त परिवार से आशय ऐसे परिवार से है जहाँ एक से अधिक वैवाहिक सम्बन्ध रखने वाले सदस्य और उनके बच्चे रहते हैं। ये सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का सम्पादन एक साथ करते हैं। एकाकी परिवार से आशय ऐसे परिवारों से है जिनमें एक वैवाहिक जोड़ा और उसके बच्चे रहते हैं। इस प्रकार परिवार की संरचना को दो भागों में बाँटा गया है। संयुक्त परिवार व एकाकी परिवार।

पारिवारिक स्वरूप के आधार पर उत्तरदाताओं से सम्बन्धित तथ्यों को सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी क्रमांक 1

पारिवारिक स्वरूप के आधार पर उत्तरदाताओं की स्थिति

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	संयुक्त परिवार	16	32ण्00
2	एकाकी परिवार	34	68ण्00
	योग	**50**	**100**

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 32.00 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार के हैं, व 68.00 प्रतिशत उत्तरदाता एकाकी परिवार के हैं। इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन में सम्मिलित बहुलांश उत्तरदाता एकांकी परिवार के हैं।

पारिवारिक स्वरूप को स्पष्ट करने के बाद यह आवश्यक है कि उत्तरदाताओं के परिवार के आकार को भी स्पष्ट किया जाय। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से प्राप्त जानकारी का तथ्यातम विवेचन से स्पष्ट होता है कि परिवार के सदस्यों की संख्या व्यक्ति के स्थिति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण सहायक है। परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, यह बात उत्तरदाता की स्थिति के निर्धारण में सहायक होती है। यह स्वाभाविक सी बात है कि जिस परिवार की सदस्य संख्या अधिक होगी, वहां संयुक्त परिवार होगा। परिवार की सदस्य संख्या की अधिकता नेतृत्वकर्ता की प्रभुता और वर्चस्व को प्रकट करता है। उत्तरदाता के परिवार के सदस्यों की संख्या का तथ्यपरक विश्लेषण सारणी के माध्यम से प्रस्तुत है–

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

सारणी क्रमांक 2

परिवार के आकार के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्रमांक	परिवार का आकार	संख्या	प्रतिशत
1	छोटा (4 सदस्यों तक)	12	24₹00
2	बड़ा (4 सदस्यों से अधिक)	38	76₹00
	योग	**50**	**100**

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

सारणी से स्पष्ट है कि 4 सदस्यों तक परिवार में सदस्य रहते हैं जिनका प्रतिशत 24.00 है जिसे छोटा परिवार कह सकते हैं जबकि 76.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से अधिक होने यह बड़ा परिवार कहलाता है इस प्रकार तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बहुलांश उत्तरदाताओं के परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से अधिक है।

परिवार के स्वरूप और आकार को स्पष्ट करने के बाद पारिवारिक सम्बन्धों को भी निम्न सारणी में स्पष्ट किया गया है–

सारणी क्रमांक 3

पारिवारिक सम्बन्धों के आधार पर उत्तरदाताओं की स्थिति

क्रमांक	पारिवारिक सम्बन्ध	संख्या	प्रतिशत
1	सौहार्द एवं स्नेहपूर्ण	12	24₹00
2	सामान्य	36	72₹00
3	संबध अच्छे नहीं	02	4₹00
	योग	**50**	**100**

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 72.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पारिवारिक समबन्ध सामान्य है। 24.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पारिवारिक सम्बन्ध स्नेहपूर्ण तथा 4.00 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि हमारे पारिवारिक सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। तथ्यों के विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि अधिकतर उत्तरदाताओं के सम्बन्ध सामान्य हैं। इन परिवारों में सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण असामान्य विभिन्न कार्य है। परिवार के कुछ सदस्य कार्य ही नहीं करते, केवल घर में बैठकर रोटी तोड़ते एवं अनावश्यक कार्यों मे संलिप्त रहते है। परिवार की जिम्मेदारी कुछ सदस्यों तक हीसीमित है।

वैवाहिक स्थिति–

विवाह मानवसमाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। जो एक स्त्री और पुरुष को कुछ विशेष नियमों के आधार पर यौन सन्तुष्टि का अवसर प्रदान करती है। मनुष्य की कुछ मूलभूत जैविक आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, पानी, वस्त्र, माकान आदि। आवश्यकताओं के साथ–साथ यौन भी मानव की जैविक आवश्यकता है। यौन सन्तुष्टि के अभाव में वह जीवित तो रहता है मगर उसका स्वाभाविक विकास कठिन हो जाता है। इसकी पूर्ति विवाह नामक संस्था द्वारा होती है। विवाह एक सर्वव्यापी संस्था है। प्रत्येक समाज में विवाह के अलग–अलग नियम होते है, इन्हीं नियमों के आधार पर विवाह सम्पादित किया जाता है। कुछ समाजों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है तो कुछ समाज में यह समझौता के रूप में तथा कुछ पश्चिमी समाजों में यह मित्रता व सुविधा पूर्ण बन्धन के रूप में होता है।

हिन्दुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इस कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। किसी भी समाज मे व्यक्ति की

IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

Impact Factor: 7.301

Volume 3, Issue 1, December 2023

वैवाहिक स्थिति उसे समाज में पद एवं स्थिति प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। वैवाहिक व्यक्ति को जिम्मेदारियों की भूमिका अदायगी तथा प्रकार्य तुलनात्मक दृष्टिकोण से वृहद हो जाती है। उन्हें वैवाहिक जीवन के लक्ष्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना पड़ता है। का पड़िया के अनुसार विवाह समाज को नियंत्रित करने के साथ ही उसे निरंतरता भी प्रदान करता है। हिन्दू दर्शन में विवाह संस्कार के बाद ही व्यक्ति पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। पुरुषों के लिए ऋणों से मुक्ति व स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म का पालन करना अनिवार्य माना गया है। एक हिन्दू जीवन की सार्थकता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को विवाह करना अनिवार्य है। इस तरह हिन्दू विवाह एक धार्मिक बन्धन (संस्कार) है। निम्न सारणी में उत्तरदाताओं के वैवाहिक स्थिति को प्रदर्शित किया गया है–

तालिका क्रमांक 4

वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्रमांक	वैवाहिक स्थित	संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	43	86॰00
2.	अविवाहित	6	12॰00
4.	तलाकशुदा/परितक्ता	01	2॰00
योग		50	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

विवरण से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में अधिकांश 86.00 प्रतिशत विवाहित हैं, 12.00 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित तथा 2.00 प्रतिशत तलाक शुदा/परितक्ता है। स्पष्ट होता है कि बहुलांश उत्तरदाता विवाहित हैं।

तालिका क्रमांक 5

विवाह के समय उत्तरदाताओं की उम्रसम्बन्धीजानकारी

क्र.	वैवाहिक उम्र का विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	25 वर्ष से कम	31	62॰00
2.	25 से 30 वर्ष	13	26॰00
3.	30 से 35 वर्ष	5	10॰00
4.	35 वर्ष से अधिक	1	2॰00
	योग	50	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

विवरण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मलित उत्तरदाताओं में से 62.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विवाह 25 वर्ष से कम उम्र में 26.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विवाह 25 से 30 वर्ष की उम्र में हुआ था, शेष 10.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विवाह 30 से 35 वर्ष के बीच में हुआ। मात्र 2.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के 35 वर्ष से अधिक की आयु में उनका विवाह होना बताया। तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मलित उत्तरदाताओं में से बहुलांश उत्तरदाताओं का विवाह 25 वर्ष से कम उम्र में हुआ।

बहुलांश उत्तरदाताओं का विवाह कम उम्र में होने का कारण उनकी पारिवारिक व्यवस्था है। जब इस बारे में उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत चर्चा की गई तो स्पष्ट हुआ कि यह उम्र विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। अब हम लोग जरूर इसे उपयुक्त नहीं मानते और अपने बच्चों का विवाह ज्यादा से ज्यादा उम्र में करना चाहते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

था। उत्तरदाताओं के अनुसार पहले हमारे परिवार में तो 10–12 साल की उम्र में ही विवाह हो जाता था। यहां तक कि कुछ जातियों में तो दो परिवारों के बीच यह तय हो जाता था कि अगर आपके यहां पुत्री हुई और हमारे यहां पुत्र हुआ तो विवाह निश्चित है। समय के साथ इन परम्पराओं में बदलाव आया है। पर आंकशक पुरातन प्रभाव दिखता है।

विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में निरूपित किया जाता है। कुछ समाजों में इसे एक समझौता भी माना जाता है। लेकिन विवाह का कोई उद्देश्य जरूर होता है, बिना उद्देश्य के विवाह नामक संस्था का जन्म नहीं हुआ। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति विवाह नामक संस्था से जुड़ता है। प्रस्तुत अध्याय में उत्तरदाता के व्यक्तिशः मासिक आय की स्थिति का तथ्यपरक विश्लेषण सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है–

सारणी क्र. 6

उत्तरदाताओं के व्यक्तिशः मासिक आय की स्थिति

क्र.	मसिक आय की स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	5000 से कम	9	18%00
	5000 – 10000	7	14%00
2.	11000–20000	13	26%00
3.	21000–30000	14	28%00
4.	31000 से अधिक	7	14%00
	योग	50	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

व्यक्तियों में आज अर्जित करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। व्यक्ति अपनी कार्यक्षमता, निपुणता और विशेष योग्यता के द्वारा भी आय अर्जित कर लेता है। सारणी मे अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं की व्यक्तिसः मासिक आय का विवरण दिया गया है। विवरण से स्ष्ट होता है कि 18.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय 5000 से कम, 14.00 प्रतिशत थी 5000 से 10000 के मध्य तथा 14.00 प्रतिशत थी 11000 से 20,000 के मध्य 26.00प्रतिशत की 21000 से 30000 के मध्य जबकि 14.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 31000 से अधिक है। उत्तरदाताओं की औसत मासिक आय 10 हजार से 30 हजार के मध्य है। आय के विविध स्रोत है जिनमें क्षेत्रीय एवं श्रममूलक का कार्य प्रमुख है सम्पत्तियों को एक आधार प्रदान करती है, सम्पत्ति के उपयोग के तरीके में भिन्नता से आय में भी भिन्नता हो जाती है। आय के आधार पर उत्तरदाताओं को निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है–

सारणी क्रमांक 7

पारिवारिक आय के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्रमांक	आय समूह	संख्या	प्रतिशत
1	25,000 से कम	13	26%00
2	25,000 से 45,000	27	54%00
3	46,000 से 60,000	8	16%00
4	60,000 से अधिक	2	4%00
	योग	50	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

विवरण से स्पष्ट होता है कि सभी उत्तरदाताओं की वार्षिक आय एक समान नहीं है किसी की कम तो किसी की अधिक है। 25 हजार से कम आय वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 26 है, 25 हजार से 45 हजार आय वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 54, 46 हजार से 60 हजार आय वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 16.00 ह तथा 60 हजार से अधिक आय वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 4.00 है। तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाताओं की पारिवारिक वार्षिक आय 25 हजार से 45 हजार तक है।

परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या– किसी भी समाज में व्यक्ति के आर्थिक स्थिति के निर्धारण मे आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस परिवार में आय के जितने अधिक साधन होंगे उस परिवार का आर्थिक पक्ष उतना ही मजबूत होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं से उनके परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या के संबंध में प्रश्न किया तो उसका जो उत्तर प्राप्त हुआ, उसका तथ्यपरक विश्लेषण सारणी के माध्यम से प्रस्तुत है–

सारणी क्र. 8

परिवार में कमाने वाले सदस्यों के कार्यों की स्थिति

क्र.	परिवार में कमाने वाले सदस्य	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	दो से कम	21	42
2.	3 से 5 सदस्य	13	26
3.	सभी युवा सदस्य	8	16
4.	कोई भी नही	6	12
5.	कोई उत्तर नहीं	2	4
	योग	50	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

उपर्युक्त सारणी के तथ्यात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 42.00 प्रतिशत उत्तरदाता के यहां कमाने वाले सदस्यों की संख्या 2 से कम हैं। 26.00 प्रतिशत उत्तरदाता के यहां कमाने वालों की संख्या 3 से 5 सदस्यों की है। 16.00 प्रतिशत उत्तरदाता के यहाँ परिवार के सभी युवा सदस्य कमाते है 12.00 प्रतिशत उत्तरदाता के यहाँ कोई भी सदस्य कमाने वाला नहीं है। छोटे–मोटे कार्यो के माध्यम से वे कुछ अर्थ संचय करते है।

महिलाओं के नौकरी करने की स्थिति– जब अनुसंधानकर्ता ने उत्तरदाता से प्रश्न किया कि क्या आपके परिवार में महिलाएं नौकरी करती हैं तो इसका जो उत्तर प्राप्त हुआ उसका तथ्यात्मक विश्लेषण निम्न सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया–

सारणी क्र. 9

महिलाओं के नौकरी करने की स्थिति

क्र.	नौकरी की स्थिति	उत्तरदाताओं की स्थिति	प्रतिशत
1	करतीहैं	7	14ण्00
2.	नहीं करतीहै	39	78ण्00
3.	उत्तर नहीं	4	8ण्00
	योग	**50**	**100**

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

उर्पयुक्त सारणी के तथ्यात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 78.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की महिलाओं के नौकरी नहीं करने के पक्ष में उत्तर दिया, जबकि 14.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नौकरी करने के पक्ष में उत्तर दिया, जबकि 8.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम 14.00 प्रतिशत महिलाए ही वर्तमान में नौकरी कर रही जबकि 78.00 प्रतिशत महिलाए उनकी नौकरी से वंचित है।

स्वामित्व–

सामान्यतः समाजशास्त्री व्यक्तियों की आर्थिक शक्ति को दो रूपों में देखते हैं, आय और सम्पत्ति। व्यक्ति की आर्थिक शक्ति कितनी है उसके आधार पर ही उस के प्रस्थिति का निर्धारण होता है। समाज में व्यक्ति के आय को महत्वपूर्ण माना जाता है, ग्रामीण समाज में सम्पत्ति का आधार चल–अचल सम्पत्ति माकान, स्वयं की भूमि व सार्वजनिक इस्तेमाल की वस्तुएं आदि को सम्पत्ति के रूप में देखा जाता है। प्रस्तुत सारणी में उत्तरदाताओं के स्वामित्व को प्रदर्शित किया गया है–

तालिका क्रमांक 10

स्वामित्व के आधारपरउत्तरदाताओं का विवरण

क्र.	विवरण	कुलसंख्या	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	स्वयं का माकान	50	48	96%00
2	भूमि स्वामित्व	50	16	32%00
3	वाहन एवं बैंक निधि	50	40	80%00

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 96.00 प्रतिशत उत्तरदाता के पास स्वयं का मकान है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि कुछ मकान कच्चे या झोपड़ेनुमा भी है। सर्वेक्षण के दौरान शोधार्थी ने स्वयं अवलोकन किया। 32.00 प्रतिशत उत्तरदाता कुछ भूमि का भी स्वामित्व रखते है। अध्ययन के दौरान एक नवतथ्य देखने को मिला वह यह रहा कि 80.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास स्वयं का दो पहिया चार पहिया वाहन और कुछ बैंक निधि भी है। हालाकि वह सामान्य हैं।

प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कुछ सम्पत्ति प्राप्त करता है या प्राप्त होती है तभी वह स्वामी कहलाता है। जब उसे अपने परिवार या पिता के द्वारा यह प्राप्त होती है तब उसे पैतृक सम्पत्ति कहते है। अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं के पास जो सम्पत्ति है, उस बारे में जब जानकारी चाही गई कि यह उसकी खरीदी है या पैतृक रूप से प्राप्त हुई है। इस बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई उसे निम्न सारणी में देखा जा सकता है–

तालिका क्रमांक 11

सम्पत्ति के संबंध में उत्तरदाताओं के विचार

क्रमांक	**प्राप्ति का आधार**	**उत्तरदाताओं की संख्या**	**प्रतिशत**
1.	पैतृक	42	84%00
2.	खरीदी	6	12%00
3.	शासकीय पट्टे	2	4%00
	योग	**50**	**100**

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

विवरण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए उत्तरदाताओं में से 84.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उनके पास जो सम्पत्ति है वह हमें पैतृक प्राप्त हुई है, जबकि 12.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास जो सम्पत्ति है वे स्वीकार करते है कि वह उनके स्वयं के मेहनत से खरीदी हुई सम्पत्ति है। कुछ उत्तरदाता जिनका प्रतिशत 4.00 है वे बताया कि शासन की नीति के तहत उन्हे शासकीय भूमि पट्टे में मिली है। तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बहुलांश उत्तरदाताओं के पास जो सम्पत्ति है वह उन्हें पैतृक प्राप्त हुई है जबकि अल्पांश अर्थात् 12 प्रतिशत यह मानते है कि यह सम्पत्ति उनके द्वारा खरीदी गई है। केवल4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के स्वीकार किया कि उन्हें शासकीय अराजी से पट्टे पर कुछ भूमि कृषि कार्य हेतु प्राप्त हुई है।

आवासीय स्थिति–

समाज में व्यक्ति के आवास का महत्वपूर्ण स्थान है, व्यक्ति प्रकार के मकान में रहता हैं इससे उसके सामाजिक, आर्थिक, रहन–सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का निर्धारण होता है। पिछड़े वर्ग के लोगों में आवास व्यक्ति को आश्रय एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करता, अपितु उसकी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आर्थिक एवं आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैलीत था रहन–सहन विरासत एवं सहिष्णुता के स्तर को भी निर्धारित करती है। नगरीय क्षेत्रों में तो प्रायः व्यक्ति के मकान पक्के होते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति के पक्के व कच्चे दोनों प्रकार के मकान देखने को मिलते हैं। व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर ही अपने मकानों का निर्माण कराता है, जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है उसके मकान बड़े व पक्के बने होते है, व जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति कमजोर व कृषि मजदूरी आदि करते हैं उनके मकान कच्चे व छत खपरैल की होती है। जब उत्तरदाता से उनके आवासीय स्थिति के बारे में प्रश्न किया गया तो जो उत्तर प्राप्त हुआ, उसका तथ्यात्मक विश्लेषण सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है–

सारणी क्र. 12

उत्तरदाताओं के आवासीय स्थिति का विवरण

क्र.	आवासीय स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	खपरैल मिट्टी की दीवार	25	50ण्00
2.	पक्का छत का घर	13	26ण्00
3.	छोपड़ी एवं घास फूस	5	10ण्00
4.	टीन शेड एवंअन्य	7	14ण्00
	योग	**50**	**100**

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

उपर्युक्त सारणी संख्या के तथ्यात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 50.00 प्रतिशत उत्तरदाता खपरैल मिट्टी की दीवाल के घर में निवास करते हैं, 26.00 प्रतिशत उत्तरदाता पक्के छत के घर में निवास करते है जबकि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता झोपड़ी एवं घासफूल के घर में निवास में करते हैं, जबकि 14.00 प्रतिशत उत्तरदाता टीन शेड एवं अन्य प्रकार के घरों में निवास करते है।

उपर्युक्त सारणी के तथ्यात्मक विश्लेषण से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अधिकांश उत्तरदाता खपरैल मिट्टी की दीवाल के घरों में निवास करते हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

ईधन के प्रयोग की स्थिति– जब अनुसंधानकर्ता ने उत्तरदाता से ईधन के प्रयोग के संदर्भ में प्रश्न किया तो उसका जो उत्तर प्राप्त हुआ उसका तथ्यपरक विश्लेषण सारणी द्वारा प्रस्तुत किया गया–

सारणी क्र. 13

प्रयुक्त किये जाने वाले ईंधन के सापेक्ष में उत्तरदाताओं की स्थिति

क्र.	ईधन की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	लकड़ी एवं ऊपले	17	34
2.	विद्युत हीटर	4	8
3.	गैस एवंअन्य	24	48
4.	ईधन कोई उत्तर नहीं	5	10
	योग	**50**	**100**

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

उपर्युक्त सारणी के तथ्यात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 34.00 प्रतिशत उत्तरदाता ईधन के लिए लकड़ी का एवं उसके प्रयोग करते हैं। 8.00 प्रतिशत उत्तरदाता ईधन के रूप में कच्चा कोयला एवं किरोसीनतेल का प्रयोग करते है, 48.00 प्रतिशत उत्तरदाता ईधन गैस एवं अन्य माध्यम का प्रयोग करते हैं, जबकि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता ईंधन के प्रयोग के बारे में कोई जानकारी देना उचित नहीं समझते हैं।

अतः उपर्युक्त सारणी के तथ्यात्मक विश्लेषण से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अधिकांश उत्तरदाता ईधन के लिए गैस का प्रयोग करते है। इस प्रयोग के कर ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचने का महत्वपूर्ण माध्यम केन्द्र सरकार द्वारा गरीब तबके के ग्रामीणों को उज्जवला गैस सिलेण्डर के मध्यम से ईधन गैस पहुँचना भी माना जा सकता है।

बर्तन के स्वरूप की स्थिति– जब अनुसंधानकर्ता ने उत्तरदाताओं से प्रश्न किया कि आप किस प्रकार के बर्तन के प्रयोग के संदर्भ में प्रश्न किया तो उसका जो उत्तर प्राप्त हुआ उसका तथ्यपरक विश्लेषण सारणी द्वारा प्रस्तुत किया गया–

सारणी क्र. 14

प्रयोग किये जाने वाले बर्तनों के स्वरूप में उत्तरदाताओं की स्थिति

क्र.	बर्तन के प्रयोग की स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	एल्यूमीनियम	18	36ण्00
2.	काया एवं पीतल	6	12ण्00
3.	स्टील एवं अन्य	17	34ण्00
4.	डिस्पोजक	5	10ण्00
5.	कोई उत्तर नहीं	3	6ण्00
	योग	**50**	**100**

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

उपर्युक्त सारणी के तथ्यात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 36.00 प्रतिशत उत्तरदाता एल्युमीनियम के बर्तन का प्रयोग करते हैं। 34.00 प्रतिशत उत्तरदाता बर्तन के रूप के स्टील एवं अन्य धातुओं का प्रयोग करते है, 12.00 प्रतिशत उत्तरदाता कासा एवं पीतल के वर्तनों का प्रयोग करते हैं, जबकि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता डिस्पोजल के बर्तनों का प्रयोग करते है। जबकि 6.00 प्रतिशत उत्तरदाताओ ने इसके संबंध में कोई जानकारी देना उचित नहीं समझते हैं।

IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

Impact Factor: 7.301

Volume 3, Issue 1, December 2023

अतः उर्पयुक्त सारणी के तथ्यात्मक विश्लेषण से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते है कि अधिकांश उत्तरदाता एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग करते है।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री कूले ने प्राथमिक समूहों में परिवार, पड़ोस व खेल के मैदान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उन्हीं के अनुसार इन समूहों में घनिष्टता, अनौपचारिक सम्बन्ध, प्रेम, सहनशीलता व वैयक्तिक सम्बन्ध पाये जाते हैं।

कूले के अनुसार ये प्राथमिक समूह सर्वत्र पाये जाते हैं व इन्हीं के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लेकिन क्या आज ये यथार्थ रूप में देखने को मिलते है? अध्ययन के दौरान यह भी जानने का प्रयास किया गया कि उत्तरदाताओं के पड़ोसियों से सम्बन्ध किस प्रकार हैं, क्या अभी भी इनमें उतनी ही घनिष्ठता पायी जाती है? कि नहीं। इसे निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है–

सारणी क्रमांक 15

पड़ोसियों के साथ सम्बन्धों के आधार पर उत्तरदाताओं की स्थिति

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	40	80ण्00
2.	मित्रतापूर्ण	8	16ण्00
3.	कटुतापूर्ण	2	4ण्00
योग		**50**	**100**

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 80.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पड़ोसियों से सम्बन्ध सामान्य हैं। 16.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पड़ोसियों से सम्बन्ध मित्रतापूर्ण व 4.00 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि उनके पड़ोसियों से सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। तथ्यों के विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के सम्बन्ध पड़ोसियों के साथ सामान्य हैं।

प्रत्येक समाज में व्यक्ति के जीवन में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रहीहै। अत्यन्त सरल शब्दों में धर्म का तात्पर्य धारण करने से है। हमारे जीवन में लौकिक शक्तियों के साथ ही साथ अलौकिक शक्तियों के प्रति आस्था का भाव विद्यमान है। इसीलिए प्रसिद्ध मानवशास्त्री टायलर ने धर्म को अलौकिक शक्ति में विश्वास कहकर परिभाषित किया है। इस प्रकार धर्म सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म से आशय अलौकिक शक्ति में विश्वास से है अर्थात् जो लौकिक जगत से परे है।

भारत धर्म प्राण देश है। इसीलिए भारतीय जनता को धर्म भीरू कहा जाता है तथा भारत में विभिन्न धर्मों के प्रति विश्वास और आस्था है। यही कारण है कि यहां विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। इन सभी के पूजा–पाठ, विश्वास, आस्था आदि में अन्तर पाया जाता है। धर्म के आधार पर ही व्यक्ति के व्यवहार, पिछड़ी जाति के लोगों की जीवन–शैली, रहन–सहन, खान–पान आदि का निर्धारण होता है। भारतीय समाज धर्म प्रधान है। भारतीय लोगों में धर्म के प्रति गहरी आस्था है। धर्म ही हमारे शरीर, आत्मा और मन को पवित्र बनाता है। धर्म ही सामाजिक सम्बन्धों का निर्धारण एवं सामाजिक दायित्वों का बोध कराता है। धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं को निम्न सारणी तालिका में प्रदर्शित किया गया है–

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

सारणी क्रमांक 4.16

धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र.	धर्मसमूह	संख्या	प्रतिशत
1.	हिन्दू	38	76
2.	मुस्लिम और अन्य	12	24
	योग	300	100

स्रोत : स्वयं के सर्वेक्षण से –

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं में 76.00 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्मावलम्बी जबकि 24.00 प्रतिशत उत्तरदाता मुस्लिम एवं अन्य धर्म के हैं।

इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश उत्तरदाता हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि ''न स्त्री स्वातंत्र मृर्हती'' अर्थात् स्त्री को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। उसमें कहा गया है कि स्त्री को बचपन में पिता ने युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य के अंतर्गत चयनित उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या स्त्री को जैसा कि धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि उसे बचपन में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तरदाताओं ने जो उत्तर दिया उसका विवरण निम्नलिखित सारणी क्रमांक 4.17 में प्रदर्शित किया है–

सारणी क्रमांक–4.17

महिलाओं की स्वतंत्रता में धार्मिक बाधाओं का विवरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	15	30.00
2.	नहीं	32	64.00
3.	तटस्थ	3	6.00
	योग	**50**	**100.00**

उपयुक्त सारणी क्रमांक 17 से ज्ञात होता है कि 50 उत्तरदाताओं में 15.00 उत्तरदाता यह स्वीकार करते हैं कि स्त्री को जैसा कि धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि उसे बचपन में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए, 64.00 उत्तरदाता यह स्वीकार नहीं करते हैं जबकि इस संदर्भ में 6.00 प्रतिशत उत्तरदाता तटस्थ है। इससे विदित होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता ... यह स्वीकार नहीं करते हैं कि स्त्री को जैसा की धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि उसे बचपन में पिता, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाज में महिलाओं की संरचना, परिकल्पना, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक आदि विभिन्न क्षेत्र की प्रतिक्रियाओं और अन्तः सम्बन्धों को समाहित करने से लिया जाता है। सामाजिक समस्या किसी विशेष पक्ष को स्पर्श नहीं करती बल्कि अनन्य पक्ष से जुड़ी होती है। समाज कई पक्षों से जुड़कर बना होता है। उन सब घटकों का एक वृहद् ताना–बाना समाज के रूप को प्रतिबिम्बित करता है और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीवन का कोई भी भाग समाज से परे नहीं, जिसका सम्बन्ध व्यक्ति से न हो।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 1, December 2023

संदर्भ स्रोत :–

[1]. डी.एस. बघेल : सामाजिक संरचना प्रक्रियाएं एवं परिवर्तन पृष्ठ . 89

[2]. जे.के. भटनागर : भारतीय समाज एवं संस्कृति, पृ. 56

[3]. आर.एन. मुखर्जी : भारतीय सामाजिक संस्थाएं पृ. 73

[4]. जी.के. अग्रवाल : समाजशास्त्र पृष्ठ 63

[5]. जी.के. अग्रवाल : समाजशास्त्र पृष्ठ 64

[6]. डी.एस. बघेल : समकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति पृष्ठ – 54